Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

शिक्षण प्रणाली एवं मानव संसाधन विकास

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: MPM04

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

शिक्षण प्रणाली एवं मानव संसाधन विकास

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

MPPCS DLP

विषय सूची (Contents)

1. मानव संसाधन विकास में शिक्षा-एक साधन **5 – 36**

1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 6

1.2 सार्वभौमिक/समान प्रारंभिक शिक्षा 7

1.3 उच्च शिक्षा 15

1.4 तकनीकी शिक्षा 19

1.5 व्यावसायिक शिक्षा 21

1.6 शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ 23

1.7 शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल 25

2. विभिन्न वर्गों के शिक्षा से संबंधित मुद्दे **37 – 55**

2.1 बालिकाओं की शिक्षा 37

2.2 वंचित वर्ग की शिक्षा 42

2.3 मध्य प्रदेश में वंचित वर्ग की शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाएँ 47

2.4 नि:शक्तजनों की शिक्षा 50

3. भारत में मानव संसाधन विकास **56 –74**

3.1 कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता 60

3.2 मानव संसाधन की नियोजिता एवं उत्पादकता 64

3.3 रोज़गार के विभिन्न चलन (ट्रेंड्स) 68

4. मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका **75– 92**

5. बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे **93 –128**

5.1 बाह्य खतरा एवं सुरक्षा 93

5.2 भारत तथा उसके अन्य पड़ोसी देशों के मध्य साझी सीमाएँ 95

5.3 वैश्विक आतंकवाद 100

5.4 आंतरिक खतरा व सुरक्षा 104

5.5 भारत में विद्यमान खतरे व आंतरिक सुरक्षा 106

5.6 संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती 117

5.7 सांप्रदायिकता 119

5.8 भ्रष्टाचार 124

अध्याय 1

मानव संसाधन विकास में शिक्षा-एक साधन
(Education in Human Resource Development-A Mean)

मानव संसाधन विकास का सार शिक्षा है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में संतुलन के लिये उल्लेखनीय और उपचारी भूमिका निभाती है। चूँकि भारत के नागरिक इसके अत्यधिक बहुमूल्य संसाधन हैं इसलिये हमारे बिलियन-सुदृढ़ राष्ट्र को जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिये बुनियादी शिक्षा के रूप में पोषण और देखभाल की ज़रूरत है। इसके लिये हमारे नागरिकों के समग्र विकास की ज़रूरत है, जिसे शिक्षा में सुदृढ़ आधार बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। इस मिशन के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) का सृजन भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 के 174वें संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर, 1985 को किया गया था, जो दो विभागों के माध्यम से कार्य करता है:

- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
- उच्चतर शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के विकास के लिये उत्तरदायी है तथा उच्चतर शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद दुनिया की सबसे उच्चतर शिक्षा प्रणाली की देखरेख करता है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य 'शिक्षा के सार्वभौमीकरण' एवं युवाओं में से बेहतर नागरिक तैयार करना है। इसके लिये नियमित रूप से विभिन्न नई स्कीमें एवं पहलें प्रारंभ की जाती हैं। अभी हाल ही में इन स्कीमों से स्कूलों में बढ़ते हुए नामांकन के तौर पर प्रमाण मिलना प्रारंभ हो गया है।

दूसरी तरफ, उच्चतर शिक्षा विभाग देश की उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान में विश्व स्तरीय अवसर पैदा करने के कार्य में लगा हुआ है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय विद्यार्थी पीछे न रहें। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक मतों का लाभ प्रदान करने के लिये संयुक्त उपक्रम प्रारंभ किये हैं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।

उद्देश्य

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और उसका अक्षरश: कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- संपूर्ण देश, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहाँ शिक्षा तक लोगों की पहुँच आसान नहीं है, में शैक्षिक संस्थाओं की पहुँच में विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुनियोजित विकास।
- निर्धनों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की ओर विशेष ध्यान देना।
- समाज के वंचित वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति, ऋण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना जिसमें यूनेस्को तथा विदेशी सरकारों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है ताकि देश में शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो सके।

शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के 'शिक्ष' धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। व्यक्तित्व के विकास के लिये शिक्षा आधारभूत तत्त्व है। किसी भी देश के विकसित होने की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। आधुनिकता के दौर में 'शिक्षा' मानव जीवन के केंद्र में आ गई है। शिक्षा के महत्त्व के समझते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि 'शिक्षा चेतना के विकास और समाज के पुनर्गठन का बुनियादी साधन है।'

भारत दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। जनसंख्या की विशालता एवं अशिक्षा के कारण यहाँ कई प्रकार की समस्याएँ व्याप्त हैं। शिक्षा के मौलिक अधिकारों के माध्यम से सार्वजनीकरण या सार्वभौमीकरण के द्वारा आने वाली पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करके कई समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से दलितों व सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाया जा सकता है। साथ ही गरीबी से पैदा होने वाली गंभीर समस्याओं, प्रदूषण, अंधविश्वास, असमानता और जनसंख्या नियंत्रण को भी काबू में किया जा सकता है।

- उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग: सरकार खुली, दूरी और ऑनाइन शिक्षा नियामक ढाँचे को उदार बनाकर उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग का विस्तार कर रही है। शीर्ष 100 विश्वविद्यालय ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। साथ ही, पारंपारिक विश्वविद्यायों और लोडीएल कार्यक्रमों में ऑनलाइन घटक भी वर्तमान 20% से बढ़ाकर 40% किया जाएगा।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिणक ढाँचा: वैश्विक बेंचमार्क के अनुरूप ही छात्रों बेंचमार्क के अनुरूप ही छात्रों और शिक्षकों के भविष्य के लिये एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचा तैयार करने का निर्णय लिया गया।
- राष्ट्रीय साक्षरता और न्यूमेरसी मिशन: देश में प्रत्येक बच्चे तक ग्रेड 3 में साक्षरता और न्यूमरेसी की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय साक्षरता और न्यूमेरसी मिशन शुरू किया जाएगा। इसके लिये, शिक्षकों में क्षमता निर्माण, एक मजबूत पाठ्यक्रम ढाँचा, सीखने की सामग्री को आकर्षक बनाने-ऑनलाइन और ऑफलाइन, सीखने के परिणामों और उनके माप सूचकांकों, मूल्यांकन तकनीकों तथा सीखने की प्रगति पर नज़र रखने जैसे कार्यों को एक व्यवस्थित रूप दिया जाएगा। इस मिशन से 3 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 4 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- भारत में शिक्षण प्रणाली का निर्देशन व वित्तपोषण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित संस्थाओं के माध्यम से होता है।
- वर्ष 1976 से पहले शिक्षा राज्य-सूची का विषय था, किंतु 1976 में संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया तथा वर्ष 1992 में इसे संशोधित किया।
- सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2000–01 से की गई थी। इस योजना के तहत 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा सुलभ कराना है।
- शिक्षा गारंटी योजना (EGS) की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1997 में की गई थी।
- ज़िला स्तर पर सार्वभौमिक शिक्षा के प्रसार के लिये ज़िला प्राथमिक शिक्षा योजना को आरंभ किया गया था।
- 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार में अनुच्छेद-21A जोड़ा गया है। इस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया।
- विश्वविद्यालयी और महाविद्यालयी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सर्वोच्च संस्था है।
- आज़ादी से पहले व्यावसायिक शिक्षा पर सुझाव वुड एवं एबेट द्वारा वर्ष 1937 में दिये गए थे।
- वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी।
- औद्योगीकरण के कारण शिक्षा का प्रारूप भी तेज़ी के साथ बदला है।
- उच्च शिक्षा में उच्चतर सुधार हेतु विश्व बैंक परियोजना के संदर्भ में भारत सरकार, विश्व बैंक तथा मध्य प्रदेश शासन के मध्य अनुबंध किया गया है।
- 'स्कूल चलें हम' अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2000–01 में की गई थी।
- नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार, 2009 अधिनियम का विस्तार जम्मू-कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में है।
- मध्य प्रदेश में साक्षरता दर में 2011 की जनगणना में वृद्धि दर्ज़ की गई है। म.प्र. की साक्षरता दर वर्ष 2001 में 63.7% थी, वहीं वर्ष 2011 में यह बढ़कर 70.6% हो गई है।
- मध्य प्रदेश में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या 83,890 एवं शासकीय माध्यमिक स्कूलों की संख्या 30,341 है।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों तक सर्वव्यापीकरण लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया गया है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस वर्ष लाया गया था?
   (a) 1988 (b) 1985
   (c) 1995 (d) 1986
2. सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने वर्ष तक के बालक-बालिकाओं की समुचित शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है?
   (a) 6–14 वर्ष (b) 8–15 वर्ष
   (c) 10–15 वर्ष (d) 9–18 वर्ष
3. शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिये केंद्र व राज्य सरकार के मध्य अनुदान राशि का अनुपात है-
   (a) 50 : 50 (b) 75 : 25
   (c) 90 : 10 (d) 70 : 30
4. मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई?
   (a) 15 अगस्त, 1995 (b) 20 अगस्त, 1980
   (c) 18 सितंबर, 1990 (d) 20 सितंबर, 2000
5. शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है?
   (a) अनुच्छेद-20 (b) अनुच्छेद-21
   (c) अनुच्छेद-21A (d) अनुच्छेद-22
6. संविधान के अनुच्छेद-45 के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश किसको प्राप्त है?
   (a) राज्य सरकार (b) केंद्र सरकार
   (c) राज्य व केंद्र सरकार (d) इनमें से कोई नहीं।
7. 'स्कूल चलें हम' अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया?
   (a) 1999–2000 (b) 2000–01
   (c) 2002–03 (d) 2004–05
8. राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के किस अधिवेशन में व्यावसायिक शिक्षा की मांग की गई?
   (a) 1887, मद्रास (b) 1890, कलकत्ता
   (c) 1900, लाहौर (d) 1905, बनारस
9. शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
   (a) आर्थिक विषमता
   (b) सामाजिक रूढ़ियाँ
   (c) आधारभूत संरचना का अभाव
   (d) उपरोक्त सभी।
10. शिक्षा गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया?
    (a) वर्ष 1979 (b) वर्ष 1985
    (c) वर्ष 1997 (d) वर्ष 1980

उत्तरमाला

1. (d) 2. (a) 3. (c) 4. (a) 5. (c) 6. (c) 7. (b) 8. (a) 9. (d) 10. (c)

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर 10-20 शब्दों/एक-दो पंक्तियों में दीजिये)

1. एक समान प्राथमिक शिक्षा **M.P.P.C.S. (Mains) 2018**
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? **M.P.P.C.S. (Mains) 2017**
3. व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? **M.P.P.C.S. (Mains) 2015**
4. शिक्षा को परिभाषित कीजिये। **M.P.P.C.S. (Mains) 2015**
5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?
6. मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य
7. शिक्षा गारंटी योजना
8. स्कूल चलें हम

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर 50 शब्दों या 5 से 6 पंक्तियों में दीजिये)

1. सर्वशिक्षा अभियान क्या है? इसके उपकार्यक्रमों का नाम भी बताइये।
2. वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाी की प्रमुख समस्याएँ बताइये।

3. मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाले अधिनियम का परिचय दीजिये।
4. राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या है?
5. भारत सरकार की पी.एम.ई. विद्या पहल का वर्णन कीजिये।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100/200/300 शब्दों में दीजिये)

1. भारत में व्यावसायिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है? स्पष्ट कीजिये। **(100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2018**
2. सर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है? **(100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2015**
3. शिक्षा किस तरह से मानव संसाधन विकास में सहायक है? विवेचना कीजिये। **(300 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2015**
4. भारत में तकनीकी की शिक्षा। **(100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2014**
5. भारत में शिक्षण प्रणाली को समझाइये।
6. निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की विस्तृत व्याख्या कीजिये।
7. प्राथमिक शिक्षा से संबंधित संवैधानिक उपबंधों की चर्चा कीजिये।
8. 'स्कूल चलें हम' अभियान का वर्णन कीजिये।
9. शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? उनका समाधान बताइये।

अध्याय
2

विभिन्न वर्गों के शिक्षा से संबंधित मुद्दे
(Issues Related to Education of Different Classes)

शिक्षा का मानव जीवन में महत्त्वपूर्ण योगदान है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधार शिक्षा को माना जाता है तथा किसी देश के विकास में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन भारत में शिक्षा के विकास एवं आधुनिकीकरण के बावजूद विभिन्न वर्गों, जैसे- बालिकाओं, वंचित वर्ग एवं नि:शक्तजनों के लिये शिक्षा से संबंधित विभिन्न चुनौतियाँ हैं। इन विभिन्न वर्गों के शिक्षा से संबंधित मुद्दों को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया जा सकता है-

2.1 बालिकाओं की शिक्षा *(Education of Girls)*

स्वतंत्रता पूर्व भारतीय समाज में बालिकाओं की शिक्षा पर महत्त्व नहीं दिया जाता था। इसके कई पहलू हैं। भारतीय समाज में वंशवाद हावी है। अत: पुत्र की चाह समाज के सभी तबकों में है। इसके अलावा दहेज़ जैसी सामाजिक बुराई भी है जो लड़कियों को हाशिये पर डाल देती है। समाज की सोच यह है कि लड़कियों की शिक्षा पर जितना धन खर्च किया जाएगा उतना इकट्ठा कर दहेज़ की मांग को पूरा किया जा सकता है। अत: लड़कियों की शिक्षा पर उतना ज़ोर नहीं दिया जाता है।

स्वतंत्रता के बाद भी बालिकाओं की शिक्षा में मंद गति से सुधार आरंभ हुआ तथा बालिका शिक्षा का विस्तार उस गति से नहीं हो सका जैसा कि अपेक्षित था। किसी भी समाज का उत्थान नारी शिक्षा के बिना नहीं हो सकता है। आधुनिक समय में इस बात की स्वीकारोक्ति की गई तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय शासन के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास किया जाने लगा। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये किया जा रहा है।

बालिकाओं के ड्रापऑउट (स्कूल छोड़ना) की समस्या *(School Dropout Problem of Girls)*

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 80.9 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 64.6 प्रतिशत है। कई राज्यों में महिला साक्षरता दर 55 प्रतिशत से भी कम है। महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार, राजस्थान सबसे पिछड़े हैं। जहाँ क्रमश: केवल 51.50 प्रतिशत, 52.12 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। इस परिस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी महिला शिक्षा के लिये विशेष प्रयास करना शेष है। साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि बालिकाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूरी की जाए। किंतु अभी भी प्राथमिक स्तर पर बालकों की अपेक्षा बालिकाओं द्वारा विद्यालय छोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

आज भी समाज में बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण भेदभावकारी है विशेषकर ग्रामीण अंचल में परिवार में बालक-बालिकाओं को समान व्यवहार नहीं मिलता। बालकों को जहाँ परिवार का आधार माना जाता है वहीं बालिका को माता-पिता एक ज़िम्मेदारी के रूप में देखते हैं। विवाह आदि में पनपी हुई कुछ कुरीतियों के चलते जन्म से ही कन्या का स्वागत पूरे मन से नहीं होता, यही भाव बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता का कारण है। विगत कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं जिससे पूर्व की अपेक्षा स्थिति बेहतर हुई है किंतु अभी भी वांछित प्रगति का अभाव है। ड्रापऑउट को रोकने के लिये यद्यपि अनेक प्रयास सरकार द्वारा किये गये हैं, यथा- परीक्षा परिणामों को शत प्रतिशत बनाए रखना, मिड-डे मिल योजना, पाठ्यपुस्तकों तथा यूनिफार्म नि:शुल्क प्रदान करना आदि फिर भी प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं का ड्रापऑउट पूरी तरह नहीं रुका है हालाँकि स्थिति पहले से बेहतर हुई है।

स्कूल छोड़ने (Dropout) के प्रमुख कारण

कारण	छात्र (प्रतिशत)	छात्राएँ (प्रतिशत)
बच्चों का पढ़ने में रुचि न लेना	23.80%	15.60%
वित्तीय समस्या	23.70%	15.20%
घरेलू कार्यों में व्यस्तता	4.80%	29.70%

अध्याय
3

भारत में मानव संसाधन विकास (Human Resource Development in India)

मानव संसाधन एक वृहद् अवधारणा है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का महत्त्वपूर्ण उपकरण है। मानव संसाधन प्रबंधन की धारणा व्यक्ति अथवा मानव को एक संसाधन (Resource) के रूप में देखती है। यह एक व्यवसाय अथवा संगठन के कर्मचारियों, अधिकारियों आदि को उनकी दक्षता/कौशल अथवा योग्यता के परिप्रेक्ष्य में एक परिसंपत्ति (Asset) के रूप में देखता है। मानव संसाधन विकास की धारणा के तहत यह मान्यता है कि व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता, कुशलता, दक्षता, नवाचारी प्रवृत्ति, जोखिम धारिता की प्रवृत्ति, अंतर्निहित क्षमता का प्रयोग कर उन्हें एक प्रभावी उत्पाद के रूप में बदला जा सकता है। कुशल श्रम बल (Skilled Labour Force) और विविध प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति मानव संसाधन प्रबंधन के ज़रिये सुनिश्चित हो पाती है।

मानव संसाधन प्रबंधन व विकास की रणनीति का ध्यान प्रमुख रूप से इस बात पर होता है कि व्यक्ति दक्षता प्राप्त करने के उच्च स्तरों की मानसिकता से जुड़ सके, जिससे उसके कार्य निष्पादन में सुधार आए। निर्धनता, बेरोज़गारी, भुखमरी जैसी समस्याओं का निराकरण कर व्यक्तियों को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहभागिता कराने के प्रयास को भी मानव संसाधन प्रबंधन की रणनीति के रूप में देखा जाता है।

भारत में दक्षता विकास को मानव संसाधन विकास की प्रमुख रणनीति के रूप में देखा गया है। इस संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किये गए राष्ट्रीय दक्षता मिशन में दक्षता विकास कार्यक्रमों के नियंत्रण हेतु प्रतिमान की तरफ रुख करना होगा एवं प्रोत्साहनों की व्यवस्था करनी होगी। दक्षता विकास के लिये एक समन्वित कार्यवाही योजना के महत्त्वपूर्ण चरण राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम (NSDC) ने अच्छी प्रगति की है। लेकिन इसके बावजूद मांग आधारित दक्षता तैयार करने के प्रमुख क्षेत्रों में ठोस कार्यवाही की आवश्यकता है।

मानव संसाधन विकास के सिद्धांत *(Principles of HRD)*

विभिन्न विद्वानों ने मानव संसाधन विकास विषय पर विचार किया है एवं HRD के निम्नलिखित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है-

- मानव संसाधन एक संपूर्ण मानव है अर्थात् उसके आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलू एवं पक्ष हैं जो उसके मूल्यों एवं मनोभावों, विचारों, विश्वासों, दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं जिनके साथ ही कार्मिक संगठन में प्रवेश करता है।
- मानव संसाधन विकास प्रोग्रामों के द्वारा मानव संसाधन की क्षमताओं में विकास किया जा सकता है।
- कार्मिकों की पृष्ठभूमि, आकांक्षाएँ एवं मूल्यों में परस्पर भिन्नता पाई जाती है अत: हर कार्मिक अलग तरह से प्रबंधित होना चाहिये तथा उनके लिये अलग सिद्धांत एवं उपागम अपनाएँ जाने चाहिये।
- समय के साथ मानव संसाधन की महत्ता में वृद्धि हुई है क्योंकि अन्य संसाधनों से भिन्न यह एक ऐसा संसाधन है जो निरंतर सीखने एवं अपना विकास करने की प्रक्रिया में लिप्त है।
- कार्मिक किसी संगठन की अनमोल पूंजी होते हैं। अत: इस संसाधन का सम्मान होना चाहिये।
- कोई भी कार्य हो वहाँ नेतृत्व का विकास बने रहना अनिवार्य है।
- कार्मिक एवं संगठन के संबंधों का संचालन पूर्ण सच्चाई एवं निष्ठापूर्वक होना चाहिये।
- किसी भी संगठन को अपने ग्राहकों को दोषरहित वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध करानी चाहिये अर्थात् ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान देना चाहिये, यह तब होगा जब संगठन में कार्मिक संतुष्ट होंगे। कार्मिकों को केवल मानव संसाधन विकास गतिविधियों द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है।

अध्याय 4

मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका (Role of Various Institutions in Human Resource Development)

भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी लगभग 1 अरब 21 करोड़ है। इतने बड़े जनसमूह को अगर कुशल संसाधनों के माध्यम से कौशलयुक्त बनाया जाए तो यह देश के विकास में समुचित योगदान दे सकता है, साथ ही इस कौशल युक्त श्रम बल के निर्यात से पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी तथा साथ ही बड़ी संख्या में रोज़गार का सृजन भी किया जा सकेगा।

भारत सरकार द्वारा मानव संसाधनों के उचित विकास के लिये कई संस्थाओं का निर्माण किया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर मानव का विकास बाधित न हो। मानव के विकास में शिक्षा का योगदान सर्वाधिक है। उचित शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी देश को मज़बूत बनाया जा सकता है।

शिक्षा व मानव कुशलता के समुचित विकास के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन 26 सितंबर, 1985 में किया गया था। मानव संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का विस्तार करना है। इसके लिये मंत्रालय के अंतर्गत दो विभाग कार्य करते हैं, पहला- स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग तथा दूसरा उच्चतर शिक्षा विभाग। इन विभागों के अंतर्गत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कई संस्थाओं का निर्माण किया गया है तथा ऐसी कई संस्थाएँ हैं जिनका वित्तीय पोषण इस मंत्रालय के माध्यम से होता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाएँ प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कार्यरत हैं। एन.सी.ई.आर.टी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासनिक संस्थान राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना आदि प्रमुख हैं।

उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय आयोग *(National commission for higher education and research)*

सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने देश में उच्च शिक्षा एवं शोध के विकास के लिये राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एंव अनुसंधान आयोग गठित करने की सिफारिश की थी। प्रो. यशपाल ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया समेत 13 अन्य नियामक अनुसंधान एवं संस्थाओं का विलय कर एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग गठित करने का सुझाव दिया था।

इस संबंध में तत्कालीन कॉन्ग्रेस सरकार ने 28 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में उच्च शिक्षा और अनुसंधान विधेयक, 2011 को पेश किया था। यह विधेयक यूजीसी अधिनियम, 1956, ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 को निरस्त करता है। यह आयोग उच्च शिक्षा और अनुसंधान के संवर्द्धन और समन्वय के लिये सहायक होता किंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर, 2014 को इस विधेयक को वापस ले लिया। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि विधेयक के तहत जिस आयोग के गठन का प्रस्ताव था, उसकी ज़रूरत को लेकर कई सवाल उठ रहे थे।

वर्ष 2018 में यूजीसी कानून को समाप्त कर एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिये प्रस्तावित अधिनियम का प्रारूप जारी किया गया। इसे पुनः वापस लेने के बाद प्रस्तावित अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग *(Higher education commission of India)*

हाल ही में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने और उसकी निगरानी के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को खत्म कर एक नए संस्थान भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) को लाने के लिये मसौदा तैयार किया गया है।

अध्याय
5

बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे (Issues of External & Internal Security)

भारत ने अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त की। किंतु तब इस नव स्वतंत्र देश के सामने कई समस्याएँ व गंभीर चुनौतियाँ विद्यमान थीं। इन चुनौतियों में भारत को बाह्य तथा आंतरिक खतरों से सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक था। भारत में अनेक राज्य हैं तथा इन राज्यों में सामाजिक तथा आर्थिक विकास में असमानताएँ हैं। विभिन्न राज्यों में गरीबी, भुखमरी, आवास संबंधी समस्याएँ व्याप्त हैं। बेकारी अथवा बेरोज़गारी सबसे प्रमुख समस्या है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण मांग एवं पूर्ति में अंतर ने समस्या को और बढ़ा दिया है।

भारत ने अपनी आज़ादी से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं तथा विकास के नए मानदंडों को स्थापित किया है, किंतु आज भी देश में विभिन्न प्रकार की आंतरिक व बाह्य चुनौतियाँ मौजूद हैं जो देश की एकता व अखंडता को प्रभावित कर रही हैं या कर सकती हैं। भारतीय सुरक्षा को दो प्रकार के खतरे हैं– (1) बाह्य खतरा तथा (2) आंतरिक खतरा।

बाह्य खतरा *(External threat)*

बाह्य खतरे का तात्पर्य, जब किसी राष्ट्र के विरुद्ध अन्य राष्ट्र या संगठन नकारात्मक कार्यवाही को बढ़ावा देते हैं जिससे उस राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिरता के साथ-साथ एकता व अखंडता को व्यापक तौर पर क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जाता है, उदाहरण– सीमापार आतंकवाद, सीमा विवाद, वैश्विक आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, नॉर्को आतंकवाद आदि।

आंतरिक खतरा *(Internal threat)*

आंतरिक खतरे का तात्पर्य, जब किसी राष्ट्र के भीतर ही नकारात्मक स्थितियाँ उत्पन्न होने लगे तथा उसके प्रेरक तत्त्व राष्ट्र के भीतर ही मौजूद हों, जो राष्ट्र की एकता व अखंडता को चुनौती देते हों। उदाहरण– नक्सलवाद, क्षेत्रवाद या प्रादेशिकता, जातीयता, भाषावाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, निर्धनता, हवाला आदि।

5.1 बाह्य खतरा एवं सुरक्षा *(External Threats & Security)*

सीमापार आतंकवाद *(Cross–border terrorism)*

लगभग तीन दशकों से भी ज़्यादा समय से भारत सीमापार आतंकवाद से ग्रसित है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण, सुविधाएँ व कई अन्य प्रकार की सहायता सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। बांग्लादेश के निर्माण के पश्चात् बांग्लादेश की तरफ से भी आतंकवाद का निर्यात किया जा रहा है। भारत का जम्मू-कश्मीर राज्य आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है। इसके अतिरिक्त भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य भी सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। सीमापार आतंकवाद का प्रभाव अब सिर्फ जम्मू-कश्मीर तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत के बहुत बड़े हिस्से को भी प्रभावित करने लगा है। पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद जम्मू-कश्मीर पर अधिकार करने की वैकल्पिक रणनीति का हिस्सा है।

सीमापार आतंकवादी हमलों से भारत को कई बार व्यापक जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा है। उदाहरण–

- दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमला।
- अक्टूबर 2001 में कश्मीर विधानसभा पर हमला।
- सितंबर 2002 में अक्षरधाम मंदिर (गुजरात) पर हमला।
- नवंबर 2008 में मुंबई में ताज होटल पर हमला।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596